प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा,देहरादून।

सेवा में,

अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा
गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल 04 जून

पत्रांक : सेवायें–3/ 4893-4900 /2018–19, दिनांक ~~मई~~ 2018

विषय :– **उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में दी गयी व्यवस्थानुसार अनिवार्य/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांकः सेवायें–3/3560–68/2018–19 दिनांक 21 मई 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पदों पर सुगम क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत समस्त कार्मिकों की पृथक–पृथक सूची, सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची, विकल्प पत्र, अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप एवं रिक्तियां वेतनक्रमानुसार पृथक–पृथक विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करते हुए विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याः 140/ XXX(2)/ 18(13)/2018 दिनांक 25 मई 2018 द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि "वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तक सीमित रखी जाय। अधिनियम के शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।"

उक्त के क्रम में 10 प्रतिशत की सीमा तक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी पदों पर सुगम क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत कार्यरत समस्त कार्मिकों की पृथक–पृथक सूची, सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची इस आशय से अपलोड की जा रही है कि निदेशालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 21 मई 2018 का संज्ञान लेते हुए आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(वी0एस0 रावत)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्याः सेवायें–3/4893-4900 /2018–19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक,शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अपर निदेशक, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
4. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0/मा0शि0 उत्तराखण्ड।
6. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
7. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचियां विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– सूची।

(वी0एस0 रावत)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड